

भारत सरकार कार्यालय_

Office of the आयकर आयुक्त (छूट),

Commissioner of Income Tax (Exemptions), तृतीय तल, कैलाश हाइट्स, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर 302015

3rd Floor, Kailash Heights, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur – 302015

नाम	JAIN WELFARE TRUST
Name	JAIN WEEFARE TROST
पता	107, Old Grain Market, Sri Ganganagar (Raj.)-
Address	335001
स्थाई खाता संख्या	AABTJ0163E
PAN	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
आदेश की दिनांक	27/08/2018
Date of order	
12 ए ए (1)(बी) के लिए यूनिक पंजीयन	AABTJ0163E/08/2017-18/T-1537/12AA
संख्या (यू.आर.एन.)	
Unique Registration No (URN) for	
12AA(1)(b)	

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए(1)(बी) के तहत् पंजीयन आदेश Order of Registration u/s 12AA (1) (b) of the Income Tax Act, 1961

1.	आवेदक द्वारा प्रपत्र सं. 10ए में धारा 12ए के अधीन पंजीयन हेतु दिनांक 02.02.2018 को आवेदन किया गया।	
	An application in Form No.10A seeking Registration u/s 12A was filed on	
2	न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्था का गठन लिखित न्यास लेख/विद्यान पत्र में वर्णित उद्रेश्यो हेतु, दिनांक 21.09.2006 को किया गया एवं जिसमें संशोधन दिनांक 18.06.2018 व दिनांक 16.08.2018 को किया गया है।	
	The Trust/Society/Non-profit Company/Institution was constituted by deed of trust / memorandum of association/instrument dated and as amended on dated indicating its objects.	
3.	3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् आवेदक न्यास/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान का "कल्याणार्थ (सामान्य जन उपयोगी)" न्यास/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान के रूप में पंजीकरण किया जाता है तथा धारा 11 तथा 12 के प्रावधान इस मामले में दिनांक 16.08.2018 से लागू होगें। न्यास/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान को इस कार्यालय में बनाए गए रिजस्टर में क्रम संख्या AABTJ0163E/08/2017-18/T-1537/12AA पर पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया गया है:-	
	After considering the material available on record, the applicant Trust/Society/Non-profit Company/Institution is granted registration as Trust/Society/Non-	
3	Profit Company/Institution and is registered at of the register maintained in this office. The provisions of Sections 11 and 12 shall apply in the case	
) .	from The registration is granted subject to the following conditions:-	

शर्ते :--

Conditions:

1. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान घारा 12एए(1)(बी) के तहत् पंजीकरण आदेश मात्र से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11,12 तथा 13 के अधीन कराधान से छूट का अधिकारी नहीं होगा। इस प्रकार की कराधान से छूट प्रत्येक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वित्त वर्ष में की गई संकल्पित गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में निर्धारण अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही प्राप्त होगी तथा उस पर सभी विधि के प्रावधान लागू होगें। इस छूट हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) की शर्ते भी लागू होगी।

Order u/s 12AA (1)(b) does not confirm any right of exemption upon the applicant u/s 11,12,and 13 of the Income-tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each financial year relevant to the assessment year and all the provision of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income-tax Act, 1961.

2. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को नियमितरूप से हिसाब रखना होगा तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार इनकी लेखा अंकक्षण कराना होगा । न्यास विलेख/विद्यान पत्र में विनिर्दिष्ट प्रत्येक गतिविधि के सम्बन्ध में अलग से लेखा रखना होगा तथा उन लेखों की एक प्रतिलिपि निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करनी होगी। संस्था द्वारा किए जा रहे या की जाने वाली गतिविधियों तथा लक्ष्यीत समूह (लाभान्वित व्यक्तियों) से सम्बन्धित जानकारी संस्था के पंजीकृत/प्रधान कार्यालय पर प्रदर्शित करनी होगी।

The Trust/Society/Non-profit Company/Institution shall maintain accounts regularly and shall get these audited in accordance with the provision of section 12A(1)(b) of the Income-tax Act, 1961. Separate accounts in respect of each activity as specified in deed / memorandum of association shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/ to be carried on and the target group(s) (intended beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered/ Designated Office of the Organization.

- 3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(4ए) के अनुपालन में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक/सांयोगिक व्यापार के लाभों तथा अभिलाभों के लेखे अलग से रखने होगें।

 Separate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of the Income-tax Act, 1961.
- 4. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को प्रत्येक वर्ष, आयकर अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में आय की विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

 The Trust/Society/Non-profit Company/Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the act.

5. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान विभाग के साथ सभी पत्राचार में स्थाई खाता संख्या का उल्लेख करना होगा।

The Trust/Society/Non-profit Company/Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.

- 6. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अधीन इस पंजीकरण से दानदाताओं को धारा 80 जी के तहत् छूट अधिकार स्वतः ही प्राप्त नहीं होगा।
 The registration u/s 12AA of the I.T. Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction u/s 80G.
- 7. इस प्रमाणपत्र का निवेश इत्यादि के सम्बन्ध में टी.डी.एस. की कटौती नहीं करने के दावों के लिए आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। This certificate cannot be used as a basis for claiming non-deduction of tax at source in respect of investments etc. relating to the Trust/Society/Non-profit Company/Institution.
- 8. सभी प्रकार से प्राप्त सार्वजनिक धन जिसमें स्थायी अथवा कोई अंशदान शामिल है, उसकी प्राप्ति बैंक खाते के माध्यम से करनी होगी तथा उस बैंक खाता की संख्या निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करनी होगीं।

 All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account and such Bank Account Number shall be communicated to Assessing Officer.
- 9. न्यास विलेख / विद्यान पत्र की शर्तों में उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देनी होगी। पंजीयन प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि किया गया परिवर्तन आयकर अधिनियम के अधीन "कल्याणार्थ उद्देश्य" की परिभाषा तथा पंजीकरण की निरन्तरता के अनुरूप हैं। No change in the terms of deed/MOA of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution shall be effected without due procedure of law and its intimation shall be given immediately to this office. The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.
- 10. कोई भी परिसंपत्ति किसी अन्य, जिसमें कोई न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान शामिल है, को बिना आयकर आयुक्त (छूट),जयपुर की जानकारी के अंतरित नहीं किया जा सकेगा।

 No asset shall be transferred without the knowledge of the Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur to anyone, including any Trust/Society/Non-profit Company/Institution etc.
- 11. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान के विघटन होने की स्थिति में, अधिशेष एवं सम्पत्तियां, समान उद्श्य वाली अन्य सामान्य जनउपयोगी न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को स्थानान्तरित करना होगा तथा कोई भी हिस्सा न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान के पदाधिकारी/लाभार्थी या आयकर अधिनियम की धारा 13(3) मे निर्धारित किसी भी व्यक्ति को नही दिया जा सकेगा।

 That in the event of dissolution of Trust/Society/Non-profit Company/Institution its

That in the event of dissolution of Trust/Society/Non-profit Company/Institution its surplus and the assets will be given to a charitable organization with similar objectives and no part of the same will go to any of the trustees/beneficiaries of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution or any person(s) specified in section 13(3) of the Income Tax Act, 1961.

- आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर के पूर्व अनुमोदन के बिना पंजीकृत कार्यालय अथवा आवेदक की गतिविधि के प्रधान स्थान को राजस्थान राज्य से बाहर अंतरित नहीं किया जाएगा। The registered office or the principal place of activity of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution should not be transferred outside State of Rajasthan except with the prior approval of the CIT (E), Jaipur.
- 13. यदि बाद में यह पाया जाए कि पंजीयन को गलत प्रत्यावेदन अथवा तथ्यों को छिपाकर, कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया है तो इस पंजीयन को आयकर अधिनियम की घारा 12 ए ए (3) के प्रावधानों के अनुसार निरस्त किया जा सकेगा। If later on, it is found that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the registration so granted is liable to be cancelled as per provisions u/s 12AA(3) of the Act.
- 14. यदि पंजीयन प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि न्यास/संस्थान की गतिविधियाँ सही नहीं है अथवा न्यास/संस्थान उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो पंजीयन अधिकारी किसी भी समय इस पंजीयन को निरस्त कर सकता है। The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time, if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution are not genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution.
- आयकर अधिनियम की धारा 12एए(4) के अधीन वर्णित शर्ती के लागू होने की स्थिति में किसी भी समय इस स्वीकृत पंजीयन को निरस्त किया जा सकेगा। The registration, so granted is liable to be cancelled at any point of time u/s12AA (4) of the Act, if the conditions mentioned therein are attracted



हस्ता/-(मुकेश वर्मा) (Mukesh Verma) आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur

क्रमांकः – आ.आ. (छूट) जयपुर/आ.अ. (मु.)/2018–19/ No. CIT (E)/JPR/ITO (Hqrs.)/2018-19/ 4489

दिनांक:- 27 अगस्त, 2018 Dated: 24

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1-निर्धारिती / Assesse- JAIN WELFARE TRUST, 107, Old Grain Market, Sri Ganganagar (Raj.)-335001.

2—निर्घारण अधिकारी/Assessing Officer - The Income-tax Officer (Exemptions), Bikar

(Pankaj Dixit)

आयकर अधिकारी (मुख्या.)

Income Tax Officer (H.Qrs.)

कृते आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर

For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Jaipur